



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: 29-07-2014

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 30/07/2014

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: पिपरा लिङ्ग

ग्राम पंचायत का नाम: पिपरा लिङ्ग

ब्लॉक का नाम: परतावाम

ज़िला का नाम: महाराष्ट्र

राज्य का नाम: महाराष्ट्र

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : 336 (संख्या) मवेशी कुड़ों को और 8 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् 7 घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का _____ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?
(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): भारत प्रथजल संबंध समिति
समिति को क्या कहा जाता है: भारत प्रथजल संबंध समिति
अध्यक्ष का नाम: जयश्री लखाट

लिंग:

आयु: 45

23

सदस्य का नाम	लिंग	आयु
अमृतजल	मु	45
सुकृत	म	32
मोहनप्रज्ञन	मु	40

ग्राम पंचायत योजना
विभाग प्रधान
विभाग अधिकारी
प्रधान प्रभावल

23-07-2014

III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार:
जनसंख्या: 1778
परिवारों की संख्या: 448
महिलाओं की संख्या: 706
पुरुषों की संख्या: 847
बच्चों की संख्या: 306
एफ.एच.टी.सी. की संख्या: 524

वर्तमान पंचायत/आंगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार:
वर्तमान जनसंख्या: 3336
परिवारों की संख्या: 452
महिलाओं की संख्या: 1920
पुरुषों की संख्या: 1847
बच्चों की संख्या: 525
एफ.एच.टी.सी. की संख्या: 845

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
-वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन प्रिकॉर्ड): 4459. कृषि फसल पैटर्न: माटी (माइ)

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गव्वा	✓	
घान		✓
भक्का	✓	
कपास		✓
गेहूँ	✓	
अन्य	✓	

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 1075.2401 m11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें) हाँ

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)
(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें) हाँ

क्र. सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	सोखता गड्ठों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)
1.	स्कूल	हाँ	हाँ	हाँ
2.	आंगनवाड़ी	“	“	“
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	“	“	“
4.	ग्राम पंचायत भवन	“	“	“
5.	अन्य	“	“	“





पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 12765 के.एल.डी.
 मरेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 3214 के.एल.डी.
 मरेशी कंडों की आवश्यक संख्या: 08
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 230412 के.एल.डी.
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 275134 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सखा/अकाल/यकृवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,
 पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: तांबो/बि टैका/2
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। टैका/2
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त तांबो/बि
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: डायरिपा, बेट्रोग, ड्वेट

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: 90 दिन

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत
 का नाम (अवस्थिति): समान्तर

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	
पीएच	पही रंग तुलना	
पूर्ण लवणता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रीमेट्रिक विधि	
क्लोराइड	टिट्रीमेट्रिक विधि	
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
आयरन	दृश्य रंग तुलना	
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह सम्भावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नस कनेक्शन के लिए पर्याप्त लिंगहान न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: मेंदा

अवस्थिति का नाम	परां की संख्या	आवादी
-----------------	----------------	-------

ग्राम पंचायत पिन्ड
शम प्रधान
पंचायत नियमित
पंचायत परिवर्तन
पंचायत परिवर्तन
पंचायत परिवर्तन

2021-07-01

स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं) नहीं

25. गाँव में उन मौजूदा जल मंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है: गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 85625 के.एल.डी.

अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 8

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 20

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 9

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): नहीं

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: इसी

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? कृषि कार्य के द्वारा

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: _____ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: _____

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: _____

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____

योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____

समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____

_____ वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तात्त्विक में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29. योजना का नाम

केन्द्र/राज्य
सरकार का विभागसंभावित गतिविधियों जो
शुरू की जा सकती हैंप्रस्तावित
निधि

चौदहवां वित्त
आयोग

ग्राम पंचायत

ग्रे-वाटर मैनेजमेंट,
इंजेज सिस्टम आदि।

स्वच्छ भारत
मिशन - ग्रामीण
(एस.वी.एम.जी.)

पेयजल और स्वच्छता विभाग,
जल शक्ति मंत्रालय

ग्रे-वाटर मैनेजमेंट - सोखता गड्ढे
(व्यक्तिगत / सामुदायिक),
अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (ज.आर.एम.)
घटक के तहत सभी जल
संरक्षण गतिविधियाँ





योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित नियि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच/ कृतिम पुनर्जीवन, जल निकायों का निर्माण/ वृद्धि आदि	
जल भंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीणांदार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीणांदार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाइ योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाइ का प्रावधान, एकीफस्टे से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	दनोन्करण, वन पारिस्थितिकी तत्र का पुनर्जीवन, वॉटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समय शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ) एम.पी.एन.ए.डी.	राज्य	बड़े फैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियों	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंतर्गाम अवसंरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंतर्गाम अवसंरचना	
दानदाता/प्रायोजक	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्गाम अवसंरचना	





अध्यक्ष का हस्ताक्षर: जनीति कल्पाल राजा -०

पा.एच.डी.डी./ और डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (आदि लगा हो):

संघर्षक विवरण

याम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जनीति तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की घौंकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. ग्रविता
2. पानमती
3. अरोज
4. सुभिता
5. उत्त्रावती

जनीति कल्पाल

991 ९८५ ९८१ ९

